दूरभाष : 23392020
23392030
फैक्स : 23392111

जय हिन्द

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री कार्यालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली - 110 113

OFFICE OF UDM
Dy No. 2228
Date 25/5/12

PS to UDM

माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार कार्यालय में प्राप्त श्री धर्मवीर अवाना, सुश्री टिम्सी कसाना और शिखा साह, निगम पार्षद द्वारा माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को सम्बोधित पत्रों दिनांक 4 मई, 2012 की प्रतिलिपियां जो कि मीठापुर वार्ड एवं जेतपुर वार्ड के गाँवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों को ओ–जोन से निकलवाने और दिल्ली के गाँवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर मकान बनाने के लिए दिल्ली के बिल्डिंग बाईलॉज के मुताबिक अनुमति के बारे में है, मूल रूप में उपयुक्त कार्यवाही हेतु संलग्न हैं ।

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3992
Dated 8/6/12

पूजा जोशी

(डॉ0 पूजा जोशी)
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव

Secretary UD

निजी सचिव, माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार

संख्याःमुमं/पीजीसी/वीआईपी/12/1829-32 दिनांकः 21/5/12

AJ(UD)

Dir(DD).on ...

DD-IB

DHARAMVEER AWANA
Municipal Councillor
South Delhi Municipal Corporation

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No.
Dated

No. : .....
Dated : .....

दिनांक : 04.05.2012

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

मैं आपका ध्यान दिल्ली के सभी गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में, वहां के निवासी निजी जमीन पर जो अपने मकान बनाते हैं, तो वह निर्माण अवैध माना जाता है। दूसरी तरफ, गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर मकान बनाने हेतु नक्शा पास कराने के लिए जो आवश्यक कागजी कार्रवाई करनी होती है वह संभव नहीं है, क्योंकि गांव जिस जमीन पर बसे हुए हैं वह जमीन शामलात देह की है। अर्थात् वह ज़मीन किसी एक व्यक्ति की मल्कियत नहीं है और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों ने भी पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर जमीन खरीदकर मकान बनाये हैं।

उपरोक्त मामले में, मेरा आपसे अनुरोध यह है कि दिल्ली के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर मकान बनाने के लिए दिल्ली के बिल्डिंग बॉईलॉज के मुताबिक अनुमति मिलनी चाहिए।

चूंकि मकान का नक्शा पास कराने के लिए आवश्यक कागजात आवेदक द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, इसलिए इन गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में मकान बनाने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड आर्किटेक्टों द्वारा पास किए गए नक्शों को बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार पर्याप्त माना जाना चाहिए और दिल्ली नगर निगम में इन नक्शों को जमा कराने पर बिल्डिंग बाईलॉज के नियमानुसार आवेदकों को मकान बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

साथ ही, उपरोक्त अनुमति केवल उन्हीं गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के मामलों में दी जानी चाहिए, जो निजी जमीन पर हों, जिनमें भारत सरकार के शहरी विकास विभाग के नियमानुसार बाउन्ड्री फिक्स हो गई हो और जहां 50 प्रतिशत से अधिक बिल्ट-अप एरिया हो।

उपरोक्त प्रावधान हो जाने पर, दिल्ली के गांव एवं अनधिकृत कॉलोनियों के प्लॉट मालिक निश्चिंत होकर बिना किसी डर व भय के अपने मकानों की मजबूत नींव रख सकेंगे और इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिल सकेगी। साथ ही, इस दिशा में भारत सरकार का उठाया गया यह कदम ऐतिहासिक, जनहितकारी एवं सराहनीय होगा और कांग्रेस-पार्टी द्वारा दिल्ली नगर निगम के चुनावी घोषणा-पत्र में किया गया वायदा भी पूरा हो सकेगा।

सादर,

भवदीय

श्री कमलनाथ जी,
माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

(धर्मवीर अवाना)
निगम पार्षद, मीठापुर वार्ड

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः
माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

H.No. 181 C, Meethapur Village, Badarpur, New Delhi-110044. Mob: 9818182324

TIMSI KASANA
Municipal Councillor
South Delhi Municipal Corporation

No. : ....
Dated : ....

दिनांक : 04.05.2012

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

मैं आपका ध्यान दिल्ली के सभी गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं।

गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में, वहां के निवासी निजी जमीन पर जो अपने मकान बनाते हैं, तो वह निर्माण अवैध माना जाता है। दूसरी तरफ, गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर मकान बनाने हेतु नक्शा पास कराने के लिए जो आवश्यक कागजी कार्रवाई करनी होती है वह संभव नहीं है, क्योंकि गांव जिस जमीन पर बसे हुए हैं वह जमीन शामलात देह की है। अर्थात् वह जमीन किसी एक व्यक्ति की मल्कियत नहीं है और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों ने भी पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर जमीन खरीदकर मकान बनाये हैं।

उपरोक्त मामले में, मेरा आपसे अनुरोध यह है कि दिल्ली के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर मकान बनाने के लिए दिल्ली के बिल्डिंग बॉईलॉज के मुताबिक अनुमति मिलनी चाहिए।

चूंकि मकान का नक्शा पास कराने के लिए आवश्यक कागजात आवेदक द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, इसलिए इन गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में मकान बनाने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड आर्किटेक्टों द्वारा पास किए गए नक्शों को बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार पर्याप्त माना जाना चाहिए और दिल्ली नगर निगम में इन नक्शों को जमा कराने पर बिल्डिंग बाईलॉज के नियमानुसार आवेदकों को मकान बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

साथ ही, उपरोक्त अनुमति केवल उन्हीं गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के मामलों में दी जानी चाहिए, जो निजी जमीन पर हों, जिनमें भारत सरकार के शहरी विकास विभाग के नियमानुसार बाउन्ड्री फिक्स हो गई हो और जहां 50 प्रतिशत से अधिक बिल्ट-अप एरिया हो।

उपरोक्त प्रावधान हो जाने पर, दिल्ली के गांव एवं अनधिकृत कॉलोनियों के प्लॉट मालिक निश्चिंत होकर बिना किसी डर व भय के अपने मकानों की मजबूत नींव रख सकेंगे और इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिल सकेगी। साथ ही, इस दिशा में भारत सरकार का उठाया गया यह कदम ऐतिहासिक, जनहितकारी एवं सराहनीय होगा और कांग्रेस-पार्टी द्वारा दिल्ली नगर निगम के चुनावी घोषणा-पत्र में किया गया वायदा भी पूरा हो सकेगा।

सादर,

भवदीय
Timsi
(टिम्सी कसाना)
निगम पार्षद, मोलड़बन्द वार्ड

श्री कमलनाथ जी,
माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः
माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

H.No. 133/E3, Molarband Extn., Badarpur, New Delhi-110044
Mob: 9311111101, 9868777777

9/8/12

SIKHA SHAH
Municipal Councillor
South Delhi Municipal Corporation

No. : .....
Dated : .....

दिनांक : 04.05.2012

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

मैं आपका ध्यान दिल्ली के सभी गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं।

गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में, वहां के निवासी निजी जमीन पर जो अपने मकान बनाते हैं, तो वह निर्माण अवैध माना जाता है। दूसरी तरफ, गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर मकान बनाने हेतु नक्शा पास कराने के लिए जो आवश्यक कागजी कार्रवाई करनी होती है वह संभव नहीं है, क्योंकि गांव जिस जमीन पर बसे हुए हैं वह जमीन शामलात देह की है। अर्थात् वह जमीन किसी एक व्यक्ति की मल्कियत नहीं है और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों ने भी पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर जमीन खरीदकर मकान बनाये हैं।

उपरोक्त मामले में, मेरा आपसे अनुरोध यह है कि दिल्ली के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर मकान बनाने के लिए दिल्ली के बिल्डिंग बॉईलॉज के मुताबिक अनुमति मिलनी चाहिए।

चूंकि मकान का नक्शा पास कराने के लिए आवश्यक कागजात आवेदक द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, इसलिए इन गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में मकान बनाने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड आर्किटेक्टों द्वारा पास किए गए नक्शों को बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार पर्याप्त माना जाना चाहिए और दिल्ली नगर निगम में इन नक्शों को जमा कराने पर बिल्डिंग बाईलॉज के नियमानुसार आवेदकों को मकान बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

साथ ही, उपरोक्त अनुमति केवल उन्हीं गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के मामलों में दी जानी चाहिए, जो निजी जमीन पर हों, जिनमें भारत सरकार के शहरी विकास विभाग के नियमानुसार बाउन्ड्री फिक्स हो गई हो और जहां 50 प्रतिशत से अधिक बिल्ट-अप एरिया हो।

उपरोक्त प्रावधान हो जाने पर, दिल्ली के गांव एवं अनधिकृत कॉलोनियों के प्लॉट मालिक निश्चिंत होकर बिना किसी डर व भय के अपने मकानों की मजबूत नींव रख सकेंगे और इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिल सकेगी। साथ ही, इस दिशा में भारत सरकार का उठाया गया यह कदम ऐतिहासिक, जनहितकारी एवं सराहनीय होगा और कांग्रेस-पार्टी द्वारा दिल्ली नगर निगम के चुनावी घोषणा-पत्र में किया गया वायदा भी पूरा हो सकेगा।

सादर,

भवदीय

(शिखा शाह)
निगम पार्षद, जैतपुर वार्ड

श्री कमलनाथ जी,
माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः
माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

F-15, Hari Nagar, Part-III, Main Nala Road, Harsh Vihar, Jaitpur
Badarpur, New Delhi-110044. Ph:26660201. Mob: 9818148554

80

TIMSI KASANA
Municipal Councillor
South Delhi Municipal Corporation

No. : ....
Dated : ....

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

दिनांक : 04.05.2012

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मीठापुर नगर निगम वार्ड एवं जैतपुर नगर निगम वार्ड को वर्ष 2010 में ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन नगर निगम वार्डों के गांव मीठापुर, गांव जैतपुर एवं गांव हरिनगर के हजारों निवासी लाल डोरा के अंदर भी अपनी निजी जमीन पर न तो अपने मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत तक करा सकते हैं। ये तीनों गांव सैकड़ों साल पुराने हैं।

साथ ही, उपरोक्त तीनों गांवों की खेती-बाड़ी की जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियों को भी ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया है। ये अनधिकृत कॉलोनियों हैं : मीठापुर विस्तार सौरभ विहार, ओम नगर, सांई नगर, शिवपुरी सौरभ विहार, हरिनगर एक्सटेंशन, जैतपुर पार्ट-1 पार्ट-2 आदि। इन अनधिकृत कॉलोनियों में 90 से 95 प्रतिशत तक बिल्ट-अप एरिया है और सभी मकान निजी जमीन पर बने हुए हैं। ओ-जोन में आ जाने के कारण, इन कॉलोनियों में भी लोग अपनी निजी जमीन पर न तो मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत ही करा सकते हैं।

उपरोक्त गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों गरीब लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हुए, जिनमें अधिकतर कमजोर वर्ग के लोग हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि मीठापुर वार्ड एवं जैतपुर वार्ड के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों को ओ-जोन से निकलवाने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे।

सादर,

भवदीय

Timsi

(टिम्सी कसाना)
निगम पार्षद, मोलड़बन्द वार्ड

Accounts 10448 7/5/2012

श्री कमलनाथ जी,
माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः
माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

8/5/12
OS

H.No. 133/E3, Molarband Extn., Badarpur, New Delhi-110044.
Mob: 9311111101, 9868777777

9/5/12

81

SIKHA SHAH

Municipal Councillor

South Delhi Municipal Corporation

No. : ....

Dated : ....

दिनांक : 04.05.2012

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मीठापुर नगर निगम वार्ड एवं जैतपुर नगर निगम वार्ड को वर्ष 2010 में ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन नगर निगम वार्डों के गांव मीठापुर, गांव जैतपुर एवं गांव हरिनगर के हजारों निवासी लाल डोरा के अंदर भी अपनी निजी जमीन पर न तो अपने मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत तक करा सकते हैं। ये तीनों गांव सैकड़ों साल पुराने हैं।

साथ ही, उपरोक्त तीनों गांवों की खेती-बाड़ी की जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियों को भी ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया है। ये अनधिकृत कॉलोनियों हैं : मीठापुर विस्तार सौरभ विहार, ओम नगर, सांई नगर, शिवपुरी सौरभ विहार, हरिनगर एक्सटेंशन, जैतपुर पार्ट-1 पार्ट-2 आदि। इन अनधिकृत कॉलोनियों में 90 से 95 प्रतिशत तक बिल्ट-अप एरिया है और सभी मकान निजी जमीन पर बने हुए हैं। ओ-जोन में आ जाने के कारण, इन कॉलोनियों में भी लोग अपनी निजी जमीन पर न तो मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत ही करा सकते हैं।

उपरोक्त गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों गरीब लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हुए, जिनमें अधिकतर कमजोर वर्ग के लोग हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि मीठापुर वार्ड एवं जैतपुर वार्ड के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों को ओ-जोन से निकलवाने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे।

सादर,

भवदीय

(शिखा शाह)

निगम पार्षद, जैतपुर वार्ड

श्री कमलनाथ जी,

माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री

भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

F-15, Hari Nagar,Part-III, Main Nala Road, Harsh Vihar, Jaitpur, Badarpur, New Delhi-110044. Ph:26660201. Mob:9818148554

10445
7/5/2012

8/5/12

9/5/12

DHARAMVEER AWANA
Municipal Councillor
South Delhi Municipal Corporation

No. : ....
Dated : ....
दिनांक : 04.05.2012

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मीठापुर नगर निगम वार्ड एवं जैतपुर नगर निगम वार्ड को वर्ष 2010 में ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन नगर निगम वार्डों के गांव मीठापुर, गांव जैतपुर एवं गांव हरिनगर के हजारों निवासी लाल डोरा के अंदर भी अपनी निजी जमीन पर न तो अपने मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत तक करा सकते हैं। ये तीनों गांव सैकड़ों साल पुराने हैं।

साथ ही, उपरोक्त तीनों गांवों की खेती-बाड़ी की जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियों को भी ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया है। ये अनधिकृत कॉलोनियों हैं : मीठापुर विस्तार सौरभ विहार, ओम नगर, सांई नगर, शिवपुरी सौरभ विहार, हरिनगर एक्सटेंशन, जैतपुर पार्ट-1 पार्ट-2 आदि। इन अनधिकृत कॉलोनियों में 90 से 95 प्रतिशत तक बिल्ट-अप एरिया है और सभी मकान निजी जमीन पर बने हुए हैं। ओ-जोन में आ जाने के कारण, इन कॉलोनियों में भी लोग अपनी निजी जमीन पर न तो मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत ही करा सकते हैं।

उपरोक्त गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों गरीब लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हुए, जिनमें अधिकतर कमजोर वर्ग के लोग हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि मीठापुर वार्ड एवं जैतपुर वार्ड के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों को ओ-जोन से निकलवाने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे।

सादर,

भवदीय

D.V. A—

(धर्मवीर अवाना)
निगम पार्षद, मीठापुर वार्ड

Asst. PS
10446
7/5/2012

श्री कमलनाथ जी,
माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः
माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

8/5/12

H.No. 181 C, Meethapur Village, Badarpur, New Delhi-110044. Mob:9818182324

PS to Min (UD)

9/5/12